अनुदान संख्या 17 – कारपोरेट कार्य मंत्रालय
GRANT No. 17 - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	478,54,00	559,35,00	505,62,90	-53,72,10
पूरक	Supplementary	80,81,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				52,27,97
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		29,50,00	20,78,80	- 8,71,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8,10,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹5372.10 लाख) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹8081.00 लाख की पूरक अनुदानों का 66 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

बचतें अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹5372.10 lakhs) constituted 66 percent of the supplementary grants of ₹8081.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and 10 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	26621.00			
पू.	S.	8079.00	32831.69	32466.79	-364.90
पु.	R.	-1868.31			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	21233.00			
पू.	S.	2.00	17875.34	18096.11	+220.77
पु.	R.	-3359.66			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹784.00 लाख का प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹771.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "3475" – "संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन – राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपीलीय प्राधिकरण" के अंतर्गत – संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों पर अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना न किए जाने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹784.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹771.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3475" - "Regulation of Joint Stock Companies - National Financial Reporting Appellate Authority" - due to non-establishment of the appellate authority on the recommendations of Parliamentary Standing Committee.

(II) मुख्य शीर्ष "3451"– "सचिवालय – कारपोरेट कार्य मंत्रालय"– के अंतर्गत ₹20621.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹8079.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹28700.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने, कम परामर्शदाताओं को भाड़े पर लिए जाने, परामर्शदाताओं व्यावसायिकों से कम दावे प्राप्त होने, निवेशकों को दावों की धन वापसी में विलंब, आधार बायोमिट्रिक प्रमाणन प्रणाली क्रियान्वित न होने तथा किफायत उपायों के कारण ₹2233.21 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Corporate Affairs" - the original provision of ₹20621.00 lakhs was augmented to ₹28700.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹8079.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2233.21 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, hiring of less consultants, receipt of less claims from consultants/professionals, delay in refund of claims to investors, non-implementation of AADHAR biometric authentication system and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं :–

(का) "संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन":–

(क) "कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आधिकारिक परिसमापन" – ₹164.35 लाख की बचत (₹0.28 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2401.28 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराया बिलों की प्राप्ति न होने और किफायत के उपायों के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण" – ₹298.07 लाख की बचत (₹1134.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई और

(ग) "निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण" – ₹187.21 लाख की बचत (₹598.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें नए प्राधिकरणों की स्थापना के कारण कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुईं ।

(खा) "अन्य व्यय" –

(क) "गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय" – ₹253.19 लाख की बचत (₹1737.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "पूर्व चेतावनी प्रणाली" परियोजना की संविदा न दिए जाने के कारण हुई ।

(ख) "राष्ट्रीय कंपनी न्याय प्राधिकरण" – ₹2156.82 लाख की बचत (₹5095.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ई–गवर्नेंस परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा अधिकरण की अतिरिक्त पीठों की स्थापना न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3475" -savings occurred under the following heads:-

(A) "Regulation of Joint Stock Companies" -

(a) "Official Liquidators under Companies Act" - saving of ₹164.35 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2401.28 lakhs including token supplementary grant of ₹0.28 lakh) was due to non-receipt of rent bills and economy measures.

(b) "National Financial Reporting Authority" - saving of ₹298.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1134.00 lakhs); and

(c) "Investor Education and Protection Fund Authority" - saving of ₹187.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹598.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds, authorities being newly established.

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Serious Fraud Investigation Office" - saving of ₹253.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1737.00 lakhs) was due to non-awarding of contract for "Early Warning System" project.

(b) "National Company Law Tribunal" - saving of ₹2156.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5095.00 lakhs) was due to requirement of less funds by National Informatics Centre towards e-Governance project and non-setting up of additional benches of Tribunal.

(ग) "प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण" – ₹431.57 लाख की बचत (₹544.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय कंपनी न्याय अपीलीय अधिकरण में प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण को शामिल करने के कारण हुई।

(c) "Competition Appellate Tribunal" - saving of ₹431.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹544.00 lakhs) was due to subsuming of Competition Appellate Tribunal in National Company Law Appellate Tribunal.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹875.79 लाख) प्रयुक्त हो गईं थीं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3475" – "संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

2.(I) The above savings were partly (₹875.79 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "3475" - "Regulation of Joint Stock Companies" - under the following heads:-

(का) "कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार" – ₹822.85 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹787.86 लाख था ।

(A) "Registrar of Companies under Companies Act" - ₹822.85 lakhs. Actual excess, however, was ₹787.86 lakhs.

(खा) "क्षेत्रीय निदेशक" – ₹52.94 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹176.08 लाख था।

(B) "Regional Directors" - ₹52.94 lakhs. Actual excess, however, was ₹176.08 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3475" – "अन्य व्यय – राष्ट्रीय कंपनी न्याय अपीलीय अधिकरण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई थीं – ₹186.39 लाख का अधिक व्यय (₹360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय कंपनी न्याय अपीलीय अधिकरण में प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण को शामिल किए जाने के कारण हुआ ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3475" - "Other Expenditure - National Company Law Appellate Tribunal" - excess of ₹186.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹360.00 lakhs) was due to subsuming of Competition Appellate Tribunal in National Company Law Appellate Tribunal.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “5475”	Major Head “5475”				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	2950.00	2140.00	2078.80	-61.20
पु.	R.	-810.00			

(I) “अन्य व्यय” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(I) Under “Other Expenditure” - savings occurred under the following heads:-

(का) “कर्मचारियों के लिए कार्यालय परिसर / रिहायशी आवास के लिए भूमि भवन की खरीद / निर्माण” – ₹766.82 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) “लघु कार्य” घटक को राजस्व भाग में स्थानान्तरित किए जाने के कारण हुई।

(A) “Purchase of Land/Building/Construction of Office Premises/ Residential Accommodation for Staff” - saving of ₹766.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to shifting of “Minor Works” component to Revenue Section.

(खा) “डेटा माइनिंग प्रणालियां” – ₹104.38 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम डेटा माइनिंग विश्लेषण किए जाने के कारण हुई।

(B) “Data Mining Systems” - saving of ₹104.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to less data mining analysis.

4. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधिः–

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि दावा न किए गए लाभाशों, परिपक्व जमा राशियों, परिपक्व डिबेंचरों की वापसी, वापसी की जाने वाली आवेदन राशि और उस पर ब्याज, निवेशक शिक्षा, जानकारी और सुरक्षा के संवर्द्धन के लिए, शेयरों या डिबेंचरों, शेयर–धारकों, डिबेंचर–धारकों या वे जमाकर्ता जिन्हें न्यायालय, जिसने वमन के आदेश दिए थे, द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा गलत कार्रवाई किए जाने के कारण हानि

4. Investor's Education and Protection Fund:-

The Investor’s Education and Protection Fund was opened to refund in respect of unclaimed dividends, matured deposits, matured debentures, the application money due for refund and interest thereon, for promotion of investor’s education, awareness and protection, distribution of any disgorged amount among eligible and identifiable applicants for shares or debentures, shareholders, debenture-holders or

हुई है, को धन वापसी किए जाने के लिए खोला गया था ।

वर्ष 2017–2018 के लिए निधि का लेखा इस प्रकार था :–

depositors who have suffered losses due to wrong actions by any persons, in accordance with the orders made by the Court which had ordered disgorgement.

The Account of the Fund for 2017-18 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	₹27,53,79
प्राप्तियां	Receipts	₹60,00,00
अदायगियां	Payments	₹15,58,36
अंत शेष	Closing Balance	₹71,95,43